

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.25(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 175 / 2013

जयपुर, दिनांक : 22/03/18


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—उप स्वास्थ्य केन्द्र टीला, पंचायत समिति बडीसादडी (चित्तौड़गढ़) के स्थान पर ग्राम टीला (ग्राम पंचायत नकोर) पंचायत समिति प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ किये जाने की संशोधित स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग की स्वीकृति क्रमांक:प. 25(5)चि.स्वा./ग्रुप-2/169/2012 दिनांक 24.09.2012 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या 76 पर अंकित उप स्वास्थ्य केन्द्र टीला, पंचायत समिति बडीसादडी, जिला—चित्तौड़गढ़ के स्थान पर ग्राम टीला (ग्राम पंचायत नकोर) पंचायत समिति प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ किये जाने की एतद् द्वारा संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. एकल पत्रावली डी- 258 दिनांक :-12.03.18
10. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ लेखाधिकारी


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: योजना/विकास/संशोधन टीला/2018/357

दिनांक:- 02/4/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़/चित्तौड़गढ़।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़)
- ✓ 6. प्रभारी, सर्वरूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को संबंधित की ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर